न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2019 राजस्व अपील

1. प्रभू पुत्र देव्या उर्फ देवा जाति कुम्हार निवासी ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17.01.2019 न्यायालय तहसीलदार लालसोट उनवानी मुकदमा सरकार बनाम प्रभू मु. नं. 386/2019 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री अभयशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 06.01.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट प्रभू पुत्र देव्या ने ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट में स्थित आराजी खसरा नं. 298/208 रकबा 1 बीघा किस्म गै. मु. नदी पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 17.01.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 17.01.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.01:2019 विधि प्रक्रिया एवं न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के पूर्ण रूप से विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं प्रकरण में जवाबदेही करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट को किसी तरह की सुनवाई या साक्ष्य का अवसर दिये बिना सिर्फ और सिर्फ पटवारी रिपोर्ट व उसके बयानो को आधार मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। प्रार्थी अपीलान्ट की आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास है तथा मानसिक रूप से शिथिल भी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 28/2019 राजस्व अपील

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रभू पुत्र देव्या ने संवत 2075 में ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट में स्थित गै. मु. नदी की भूमि खसरा नम्बर 298/208 रकबा 1 बीघा. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर पुराना कब्जा है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 17.01.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने ग्राम ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट में स्थित गै. मु. नदी की भूमि खसरा नम्बर 298/208 रकबा 1 बीघा. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर पुराना कब्जा है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.01.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा मुकदमा नम्बर 386/2019 सरकार बनाम प्रभू में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा